२०१/२०२२

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादी
तंवरसिंह जगदीशसिंह शिवपालसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत कुकनवाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 201 /2022 GCMS No. 2022/397

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.12.2022	वादी/प्रार्थी तंवरसिंह जगदीशसिंह पि. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम कुकनवाली पटवार मण्डल कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 290, नामान्तरकरण सं. 557 दिनॉक 24.12.04 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2058–2061 के खाता सं. 190 की छाया प्रति, जमाबंदी चौसाला वर्ष 2006 आधार वर्ष 2005 के खाता सं. 209 की छाया प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है। वादीगण/प्रार्थीगण का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **जगदीशसिंह तंवरसिंह शिवपालसिंह** पि. **गुलाबसिंह राजपूत** अन्य **सहखातेदारान के साथ** दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम **जगदीशसिंह तंवरसिंह शिवपालसिंह पि. भंवरसिंह राजपूत तथा** इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 954760376999 तंवरसिंह, मतदाता पहचान पत्र RJ/25/195/129744, आधार नम्बर 358613667790 जगदीशसिंह, मतदाता पहचान पत्र RGV/0376715, छाया प्रति प्रस्तुत की है। शिवपालसिंह का किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में हल्का पटवारी **कुकनवाली** भू.अ.नि **चितावा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त अशुद्धि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, वादी के पिता की वल्दियत अन्य खातेदार जीवराजसिंह के भी है, शिपलापसिंह के प्रार्थना–पत्र में हस्ताक्षर ही नही है तथा नही किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कि[illegible] वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नक[illegible] कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः [illegible] साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested